

न्यायालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)जबलपुर

प्रकरण क्रमांक/68/अ-89/13/2012-2014

प्ररूप-पॉच

(देखिये नियम-12)

कालोनी विकास की अनुमति

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक-13/2013(ग्राम पंचायत सूरतलाई)

म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993(क्रमांक-1 सन् 1994)और उसके अंतर्गत निर्मित मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत(कालोनाईजर का रजिस्ट्रेशन निर्बन्धन तथा शर्तें नियम-1999 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये आवेदि गाला डेव्लपर्स पार्टनर श्रीमती दक्षा पति श्री हरीश कुमार गाला निवासी-1102 राईट टाउन जबलपुर को सूरतलाई प्लॉट नं०- नम्बर बन्दोबस्त 419 खसरा नम्बर-27 रकबा-1.320 हे० खसरा नम्बर-37 रकबा-1.250 हे० खसरा नम्बर-41 रकबा-1.240 खसरा नम्बर-35/2 रकबा-0.400 हे० खसरा नम्बर-28/1 रकबा-0.320 हे० खसरा नम्बर-28/2 रकबा-0.320 हे० खसरा नम्बर-28/3 रकबा-0.330 हे० खसरा नम्बर-35/3 रकबा-1.470 हेक्टेयर में से 0.800 हे० खसरा नम्बर-23/2 रकबा-0.5 हेक्टेयर में से 0.496 हेक्टेयर कुल रकबा-7.206 हे०(यानि-72060 वर्गमीटर) आवासीय प्रयोजन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा अनुमोदित अभिन्यास क्षेत्र में विकास कार्य करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

- 1- नगर भूमि सीमा तथा नियंत्रण अधिनियम 1976 के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति पत्र में वर्णित शर्तों का पालन करना होगा।
- 2- म०प्र०भू०रा०सं०-1959 की धारा-172 के अंतर्गत भू-व्यपवर्तन की शर्तों का पालन करना होगा।
- 3- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 के अधीन प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा।
- 4- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के भवनों का विकास/निर्माण प्रथमतः करना होगा।
- 5- स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार ही विकास कार्य करना होगा।
- 6- कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की सभी शर्तों का पालन करना होगा।
- 7- ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित विकास अनुबंध में दी गयी शर्तों का पालन करना होगा।
- 8- स्थल पर स्वीकृत मानचित्र सूचना पटल पर लगाना अनिवार्य होगा।
- 9- निस्तारी जल एवं वर्षा जल की निकासी हेतु आवश्यक समुचित जल निकासी विकास सुनिश्चित करें, जिससे जल प्लावन की स्थिति निर्मित न हो।
- 10- बाह्य विकास कार्य के एवज में 10/-रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से राशि ग्राम पंचायत कोष में जमा करना होगी।
- 11- इस अनुमति को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावेगा तथा भूमि संबंधी विवाद होने की दशा में यह अनुमति स्वतःनिरस्त मानी जावेगी।
- 12- विकास अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कोई दस्तावेज कूट रचित, फर्जी अथवा गलत या किसी संस्था द्वारा विपरीत राय दी जाती है तो, अधिनियम के अंतर्गत दण्डित कार्यवाही की जावेगी तथा यह अनुमति स्वतःनिरस्त मानी जावेगी।

जबलपुर,

दिनांक-07-06-2014

सक्षम प्राधिकारी एवं,
अनुविभागीय अधिकारी,
जबलपुर

प्रतिलिपि:-

- 1-संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला जबलपुर को सूचनार्थ।
- 2-उप पंजीयक(पंजीयन)जबलपुर को नक्शें एवं बंधक पत्र की प्रति सलंगन है। ग्राम पंचायत सूरतलाई में रजिस्टर्ड बंधपत्र द्वारा भू-खण्ड क्रमांक-6 से 10, 14 से 15, 22 से 25, 34, 77 से 85, 169 से 176, 195 से 201, 206 से 218, 244 से 249, 256 से 261, 288 से 299, 397 से 398, 412 एवं 438 तक कुल रकबा-90350 वर्गफुट. तथा(सलंगन नक्शे के अनुसार 60 भवन कमजोर आय वर्ग(E.W.S.)हेतु सुरक्षित किये गये हैं का पंजीयन इस कार्यालय की अनुमति के बिना न किया जावे।
- 3-तहसीलदार पनागर जिला जबलपुर को सूचनार्थ।
- 4-सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सूरतलाई, जनपद पंचायत पनागर को सूचनार्थ।
- 5-आवेदक को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



सक्षम प्राधिकारी एवं,
अनुविभागीय अधिकारी,
जबलपुर
सक्षम प्राधिकारी
एवं
अ.वि.अ.